



संख्या- 17/2024/77-1002(003)/1/2023/001-504

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ०प्र०, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 24-06-2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत टैबलेट/स्मार्टफोन के वितरण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को के पत्र संख्या- डी/24-25/0993 दिनांक 19.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-007 में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत टैबलेट / स्मार्टफोन के वितरण हेतु प्राविधानित धनराशि रू० 4,00,000.00 लाख के सापेक्ष रू. 941,40,25,619.00 की वित्तीय स्वीकृति जारी कराने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या- 975/77-1-2022-156/2021 दिनांक 18.07.2022 के माध्यम से स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत युवाओं को निशुल्क टैबलेट / स्मार्टफोन वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत करते हुये कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1037/77-1-2022 दिनांक 27.07.2022 द्वारा यूपीडेस्को को नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

2- अवगत कराना है कि 15 लाख टैबलेट्स के क्रय के लिये जेम पोर्टल पर प्रकाशित बिड अभिलेख संख्या GEM/2023/B/3715063, दिनांक 11.08.2023 के सापेक्ष शासन के पत्र दिनांक 06.03.2024 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में प्रति टैबलेट दर रु. 12,456.00 पर निम्नानुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 11.03.2024 को पांचों संस्थाओं को जेम कॉन्टैक्ट जनरेट किये गये हैं:-

S.No.	Supplier Name (M/s)	OEM Name (M/s)	Allocated Quantity
1	ArMee Infotech Private Limited	Acer India Private Limited	2,80,702
2	Celekt Gadgets LLP	Acer India Private Limited	3,50,877
3	NF Infratech Service Private Limited	Samsung India Electronics Private Limited	2,60,526
4	SISL Infotech Private Limited	Samsung India Electronics Private Limited	2,50,877
5	Vision Distribution Private Limited	Samsung India Electronics Private Limited	3,57,018
Total			15,00,000

3- निविदा की शर्तानुसार आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा जेम कॉन्टैक्ट जनरेट होने की तिथि से 180 दिनों में कुल 15 लाख टैबलेट्स की आपूर्ति निम्नानुसार डिलीवरी शिड्यूल के अनुसार की जानी निर्धारित है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Schedule (TO is date of Contract)	Due Date	Cummulative Supply of Tablets	
		in Percentage	in Quantity
TO+30	10-04-2024	15%	2,25,000
TO+60	10-05-2024	30%	4,50,000
TO+90	09-06-2024	50%	7,50,000
TO+120	09-07-2024	70%	10,50,000
TO+150	08-08-2024	85%	12,75,000
TO+180	07-09-2024	100%	15,00,000

4- आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा दिनांक 18.06.2024 तक सम्पन्न की गयी आपूर्ति का विवरण निम्नवत प्रस्तुत है:-

S. No.	Bidder Name (M/s)	Supplied Quantity	Supply (%)
1	ArMee Infotech Private Limited	1,40,127	49.9%
2	Celekt Gadgets LLP	1,81,500	51.7%
3	NF Infratech Service Private Limited	1,44,279	55.4%
4	SISL Infotech Private Limited	1,25,710	50.1%
5	Vision Distribution Private Limited	2,11,498	59.2%
	Total	8,03,114	53.5%

5- उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत एवं आहरित धनराशि का उपयोग, 25 लाख स्मार्टफोन्स तथा वर्तमान में प्रचलित 15 लाख टैबलेट्स की आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान का विवरण निम्नवत है:-

(i) 25 लाख स्मार्टफोन्स की आपूर्ति के सापेक्ष धनराशि रू. 2488,34,86,058.00 का भुगतान सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को किया जा चुका है।

(ii) 15 लाख टैबलेट्स की वर्तमान में प्रचलित आपूर्ति के सापेक्ष दिनांक 18.06.2024 तक धनराशि रू. 755,94,46,366.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को निम्नानुसार किया जा चुका है:-

S.N.	Supplier Name (M/s)	Qty for which payment done	Gross Amount Payable (Col.3 * Rs. 12456)	Hold Amount in Rs. (as per RFP cond.)	Penalty for late supply in Rs.	Paid Amount in Rs. [4-(5+6)]
1	2	3	4	5	6	7
1	ArMee Infotech Pvt. Ltd.	1,26,000	1,56,94,56,000	4,70,83,680	11,85,527	1,52,11,86,793
2	Celekt Gadgets LLP	1,11,000	1,38,26,16,000	4,14,78,480	17,74,568	1,33,93,62,952
3	Nf Infratech Service Pvt. Ltd.	1,04,199	1,29,79,02,744	3,89,37,082	14,286	1,25,89,51,376
4	SISL Infotech Pvt. Ltd.	96,210	1,19,83,91,760	3,59,51,753	0	1,16,24,40,007

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5	Vision Distribution Pvt. Ltd.	1,88,499	2,34,79,43,544	7,04,38,306	0	2,27,75,05,238
	Grand Total	6,25,908	779,63,10,048	23,38,89,301	29,74,381	755,94,46,366

इस प्रकार 25 लाख स्मार्टफोन्स की आपूर्ति के सापेक्ष धनराशि रू. 2488,34,86,058.00 एवं 6,25,908 टैबलेट्स की आपूर्ति के सापेक्ष धनराशि रू. 755,94,46,366.00 अर्थात् कुल धनराशि रू. 3244,29,32,424.00 का भुगतान किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त आर.एफ.पी. में भुगतान हेतु निर्धारित शर्तानुसार रोकी गयी धनराशि रू. 23,49,28,383.00 (स्मार्टफोन हेतु रू. 10,39,082.00 तथा टैबलेट हेतु रू. 23,38,89,301.00) प्रतिबद्ध व्यय / देयता के रूप में उपलब्ध है।

6- उक्तानुसार स्वीकृत एवं आहरित धनराशियों के सापेक्ष टैबलेट की आपूर्ति उपरान्त आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को अग्रेत्तर भुगतान हेतु दिनांक 18.06.2024 तक धनराशि रू. 154,86,64,333.00 योजना के खाते में निम्न विवरणानुसार उपलब्ध है:-

1	Remaining funds from FY 2022-23		2,04,20,895.00
2	Budget Provision in FY 2023-24		3600,00,00,000.00
3	Total Funds Sanctioned		3428,27,47,090.00
4	Total Funds Withdrawn		3428,27,47,090.00
5	Payment Done		3251,95,75,269.00
	5.1	Payment to suppliers against the supply of 25 Lacs Smartphones	2488,34,86,058.00
	5.2	Payment to UPDESCO for administrative expenses	7,50,00,000.00
	5.3	Payment to suppliers against the supply of 6,25,908 Tablets	755,94,46,366.00
	5.4	Payment to GST portal as penalty (penalty passed-on to respective supplier)	16,42,845.00
6	Hold Amount		23,49,28,383.00
	6.1	3% Hold Amount as per contract condition (Tablets)	23,38,89,301.00
	6.2	Hold amount for other reasons (Smartphone)	10,39,082.00
7	Remaining Funds (1+4-5-6)		154,86,64,333.00

7- आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा दिनांक 18.06.2024 तक 1,77,206 टैबलेट्स की आपूर्ति उपरान्त अपने बीजक यूपीडेस्को में उपलब्ध करा दिये गये हैं जिसके भुगतान हेतु धनराशि रू. 220,72,77,936.00 के प्रस्ताव तैयार कराये जा रहे हैं। अवशेष 6,96,886 टैबलेट्स की आपूर्ति भी माह सितम्बर, 2024 के प्रथम सप्ताह तक सम्पन्न होना सम्भावित है जिनके भुगतान हेतु प्रति टैबलेट की दर रु. 12,456.00 के अनुसार प्रतिबद्ध व्यय के रूप में कुल धनराशि रू. 868,04,12,016.00 के अनुमानित व्यय की सम्भावना है।

8- शासनादेश संख्या- 975/77-1-2022-156/2021 दिनांक 18.07.2022 के प्रस्तर-3(5) के बिन्दु-2 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पोर्टल के संचालन तथा अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए नोडल एजेन्सी को योजना अवधि में रू. 7.50 करोड़ की धनराशि का प्रशासकीय व्यय की मद में प्राविधान किया गया है।

9- उक्त सम्पूर्ण के परिप्रेक्ष्य में निम्न धनराशि की आवश्यकता है:-

-
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र.सं.	व्यय / भुगतान का विवरण	धनराशि रु. में
1	आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा दिनांक 18.06.2024 तक 1,77,206 टैबलेट की आपूर्ति उपरान्त यूपीडेस्को को उपलब्ध कराये गये बीजकों के सापेक्ष व्यय / भुगतान की देयता	220,72,77,936.00
2	माह सितम्बर, 2024 के प्रथम सप्ताह तक अवशेष 6,96,886 टैबलेट्स की आपूर्ति उपरान्त आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को व्यय / भुगतान की सम्भावित देयता	868,04,12,016.00
3	वर्ष 2024-25 हेतु पोर्टल के संचालन तथा अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए नोडल एजेंसी को व्यय / भुगतान की देयता	7,50,00,000.00
4	आपूर्ति टैबलेट्स के सापेक्ष भुगतान हेतु योजना के खाते में उपलब्ध धनराशि	154,86,64,333.00
	कुल वांछित धनराशि (1+2+3+4)	941,40,25,619.00

10- उपरोक्त तालिकानुसार वांछित धनराशि की स्वीकृति निर्गत होने तथा आहरण उपरान्त कतिपय धनराशि के पूर्ण उपयोग न हो पाने की दशा में शेष धनराशि राजकोष में समर्पित कर दी जायेगी।

11- वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या 007 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)-लेखा शीर्षक- 2852-उद्योग-800-अन्य व्यय-04-स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना-0401-टैबलेट / स्मार्टफोन वितरण-42 अन्य व्यय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु. 4,000 करोड़ में से उपरोक्त वांछित धनराशि रु. 941,40,25,619.00 (रु. नौ सौ इकतालीस करोड़ चालीस लाख पच्चीस हजार छः सौ उन्नीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति यूपीडेस्को के पक्ष में निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

12- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में उक्त प्राविधानित धनराशि रु. 4,00,000.00 लाख में से रु. 941,40,25,619.00 (रु. नौ सौ इकतालीस करोड़ चालीस लाख पच्चीस हजार छः सौ उन्नीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या- 1-417/10-2013-16/94 दिनांक 26.02.2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से संबंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र 6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
6. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7. स्वीकृत धनराशि का राजकोष से एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा। धनराशि का आहरण, वास्तविक रूप से आपूर्ति की गयी सामग्री के सापेक्ष नियमानुसार देय भुगतान के अनुसार ही, राजकोष से किया जायेगा।
8. भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बन्धित Bid Documents में क्रय सामग्री हेतु उल्लिखित तकनीकी विशिष्टियों, आपूर्ति, टेस्टिंग, डाक्यूमेन्टेशन, वारण्टी आदि एवं अन्य सभी आवश्यक Terms & Conditions का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. आहरण/भुगतान किये जाने से पूर्व जहां आवश्यक हो सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में सुसंगत मैनुअल/शासनादेशों/नियमों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. 941,40,25,619.00 (रू. नौ सौ इकतालीस करोड़ चालीस लाख पच्चीस हजार छः सौ उन्नीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808000401 टेबलेट / स्मार्ट फोन का वितरण मानक मद 42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

संख्या- 17/2024/77-1002(003)/1/2022/001-504, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
8. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।